

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक 23 नवम्बर, 2004

परिपत्र सं. 3
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

नोडल एजेन्सियों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सम्मिलित होने का विकल्प (सहयोजन)।

- (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत जूट उद्योग के लिए नोडल एजेन्सी (एन.ए.) भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम लि. (आइएफसीआइ) ने उनके पत्र सं.क्रेडिट:दो ए/टीयूएफएस/2004 दिनांक 02/6/2004 द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों के टफ के अन्तर्गत जूट उद्योग के लिए सहयोजित होना सूचित किया है :-
1. आसाम औद्योगिक विकास निगम लि. (आसाम इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.)
 2. उत्तरी पूर्वी विकास वित्त निगम लि. (नार्थ इस्टर्न डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कार्पोरेशन लि.)
 3. आन्ध्र बैंक
- (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल एजेन्सी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) ने पत्र सं. डी.एफ.आई.डी/आर.ई.एफ./95 दिनांक 26/5/04, 6/7/04 एवं 03/9/2004 द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों के टफ के अन्तर्गत जूट उद्योग के लिए सम्मिलित होना सूचित किया है :-
1. न्यू इण्डिया को-ऑप. बैंक लि.
 2. द धूले विकास सहकारी बैंक लि.
 3. विटा मर्चेन्टस को.ऑप. बैंक लि.
- (iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर लघु उद्योग) की नोडल एजेन्सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने उनके पत्र सं..आई.डी.बी.आई/एच.ओ.टफ.(6)/ दिनांक 01/7/04, 7/7/04 एवं 16/8/2004 के माध्यम से निम्नलिखित अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों के टफ के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग के लिए सम्मिलित होना सूचित किया है :-
1. सिटी यूनियन बैंक लि.
 2. द हांग-कांग एवं संगहाई बैंकिंग कार्पोरेशन (निगम)

3. इण्डसलैण्ड बैंक लि.

यह निर्णय तकनीकी सलाहकार-सह-छानबीन समिति (त.स.छा.स.) की दिनांक 22/09/2004 को मुंबई में हुई 24 वीं बैठक में लिया गया ।

- i) रिंग फ्रेम में सीधे ही दो धागों को ऐंठकर लगाने वाले उपस्कर का लगाया जाना ।**
सीधे ही धागों को ऐंठने संबंधी उपस्कर का रिंग फ्रेम में लगाना (उदा. कताई मशीन के लिए इलीट्वीस्ट उपस्कर) यह टफ के सा.नि.(जी.आर) अनुलग्नक बी (ए) के अन्तर्गत आता है ।
अनुलग्नक बी (ए) 22 : सीधे ही धागों को ऐंठने का उपस्कर रिंग फ्रेम में लगाते हैं (उदा. कताई मशीन के लिए इलीट्वीस्ट उपस्कर)
- ii) कताई क्षेत्र के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सीएसपी सिस्टम का सम्मिलन ।**
गुणवत्ता नियंत्रक सीएसपी सिस्टम को सम्मिलित कर लिया गया है यह टफ के अन्तर्गत सा.नि. (जी.आर) के अधीन बी (एच) (11) में निम्नानुसार हैं :-
अनुलग्नक -बी (एच) (11) सीएसपी के लिए कम्प्यूटरीकृत ली स्ट्रेंथ जाँच मशीन, काउण्ट एवं सी वी प्रतिशत सीएसपी एवं काउण्ट के लिए ।
- iii) टफ के अन्तर्गत इंकजेट इन्ग्रेवर/रोटरी स्क्रीन इन्ग्रेवर का सम्मिलन ।**
टफ के सा.नि. (जीआर) के अन्तर्गत हाईस्पीड माइक्रो इंकजेट इंग्रेवर यू.वी इन्सपोजिंग यूनिट का एनेक्स एफ 1 एवं एफ 2 के अधीन निम्नानुसार सम्मिलित किया गया है :-
एनेक्स एफ-1 (बी) । (28) - हाईस्पीड माइक्रो इंग्रेवर यू.वी एस्कपोजिंग इकाई सहित ।
एनेक्स एफ-2 (बी) । (16) - हाईस्पीड माइक्रो इंकजेट इंग्रेवर यू.वी एस्कपोजिंग इकाई सहित ।
- iv) सिल्क क्षेत्र के लिए कन्वेअर कूकिंग मशीन का सम्मिलित किया जाना जिसे केन्द्रीय सिल्क प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (के.हि.प्रौ.अ.सं.) द्वारा विकसित किया गया ।**
कन्वेअर कूकिंग मशीन जिसका विकास केन्द्रीय सिल्क प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (के.सि.प्रौ.अ.सं.) द्वारा किया गया है उसे टफ के सा.नि. (जीआर) के तहत एनेक्स वी के अन्तर्गत निम्नानुसार उपयुक्त मशीनरी के रूप में सम्मिलित किया गया है :-
एनेक्स-बी (ई) (4) कन्वेअर कूकिंग मशीन ।
- v) गैर-बुनाई प्रयोज्य स्वास्थ्य की देखभाल के उत्पादों इत्यादि जैसे-फेस मास्क, नर्स/सर्जन के कैप, जूते का आवरण एवं कप के मास्क आदि के उत्पादन की मशीनरी का सम्मिलित किया जाना ।**
गैर-बुनाई प्रयोज्य स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी उत्पादों के उत्पादन के लिए जरूरी मशीनरी का टफ के सा.नि. (जीआर) के अन्तर्गत एनेक्स डी-2 (डी) में निम्नानुसार सम्मिलित किया गया है :-
एनेक्स डी 2(डी) (10) पराध्वनिक व्यवस्था सहित स्वचालित ब्लैक मास्क बनाने वाली मशीन ।
एनेक्स डी 2(डी) (11) पराध्वनिक व्यवस्था सहित स्वचालित मास्क हाई टेप सिलिंग मशीन ।
एनेक्स डी 2(डी) (12) पराध्वनिक व्यवस्था सहित स्वचालित बोफन्ट/नर्स कैप बनानेवाली मशीन ।
एनेक्स डी 2(डी) (डी) (13) पराध्वनिक व्यवस्था सहित स्वचालित सर्जन कैप बनाने की मशीन ।

एनेक्स डी 2(डी) (डी) (14) पराध्वनिक व्यक्था सहित स्वचालित शू कवर बनाने की मशीन ।

एनेक्स डी 2(डी) (डी) (15) पराध्वनिक व्यक्था सहित स्वचालित सी-टाईप/ कप मास्क बनाने की मशीन ।

एनेक्स डी 2(डी) (डी) (16) पराध्वनिक व्यक्था सहित स्वचालित इलास्टिक लूप सीलिंग बनाने की मशीन ।

उपरोक्त संशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक